

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन
लखनऊ।

पत्रांक/१५३/(11)/प्रर्व0-अ0फै0वि0प्रा0/2018-19

दिनांक/10-9-18

विषय:- अनाधिकृत कालोनियो के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में आप द्वारा मॉगी गयी वांछित

सूचना निम्नवत प्रेषित है:-

क्र०	कालोनी/ सोसायटी का नाम	विकास कर्ता का नाम	अवैध कालोनी बसाने की अवधि लगभग	अवैध कालोनी का क्षेत्रफल लगभग	राजस्व हानि लगभग (वाह्य विकास शुल्क)	अभियुक्ति
1	पर्ज कुटी डीन गौरा पट्टी, फैजाबाद	श्री ताज मुहम्मद	लगभग 2 वर्ष	4000.00	95,48,000.00	ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए वि०शुल्क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
2	जखुड़ी ग्रीनसिटी गौरा पट्टी, फैजाबाद	श्री देवेन्द्र सिंह	लगभग 2 वर्ष	8000.00	1,43,22,000.00	ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए वि०शुल्क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
3	साई सिटी गौरा पट्टी फैजाबाद	श्री महेन्द्र सिंह	लगभग 3 वर्ष	5000.00	1,19,35,000.00	ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए वि०शुल्क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
4	सरयू सिटी गौरा पट्टी फैजाबाद	श्री दिवको सिंह	लगभग 4 वर्ष	4000	95,48,000.00	ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए वि०शुल्क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
5	सिविल लाइन फैजाबाद	श्री अनूप सिंह	लगभग 6 वर्ष	4000	1,26,00,000.00	ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुए वि०शुल्क वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
योग					579.53 लाख	

कृपया उपरोक्त सभी प्रकरणों में विकास प्राधिकरण की रेरा में प्राथमिकी संख्या
33/17-18 दिनांक 06.02.2018 एवं 73/अ0फै0वि0प्रा0/17-18 दिनांक
24.03.2018 के आधार पर रेरा द्वारा रेरा अधिनियम 2016 की धारा-59 संपठित धारा
(3) में अवैध विकास कर्ताओं को नोटिस दिनांक 26.06.2018 को निर्गत कर दिये गये
है।

भवदीय

(ओम प्रकाश राय)

उपाध्यक्ष

अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण

फैजाबाद।

Mukesh

1357

कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक- /रेरा-11 अवैध भूमि वि०/2018-19 दिनांक 11, सितम्बर, 2018
सेवा में,

श्री ताज मोहम्मद,
पर्ण कुटी ग्रीन, गौरा पट्टी,
फैजाबाद।

विषय:- अवैध कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।
महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आठ-8-2018-194काम्य/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलगूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैध भू-विकास किये जाने पर वाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि रू०-95,48,000.00 (पन्चानवे लाख अड़तालिस हजार रुपये मात्र) की गणना की गयी है। उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया वांछित धनराशि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के अनुसार भू राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।

(एम० के० मिश्र)
अधिसासी अभियंता

प्रतिलिपि संख्या- 3680 / तददिनांक

1/ सहायक अभियंता (प्रवर्तन) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(एम० के० मिश्र)
अधिसासी अभियंता

श्री मो. न. फ़ारुख़
B.G.H
12/09/18

कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक- /रेरा-11 अवैध भूमि वि०/2018-19 दिनांक 11, सितम्बर, 2018
सेवा में,

श्री देवेन्द्र सिंह,
पंखुड़ी ग्रीनसिटी, गौरा पट्टी,
फैजाबाद।

विषय- अवैध कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।
महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आठ-8-2018-194काम्प/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलभूत अवरस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैध भू-विकास किये जाने पर वाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि ₹0-1,43,22,000.00 (एक करोड़ तैंतालिस लाख बाइस हजार रुपये मात्र) की गणना की गयी है। उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया वॉंछित धनराशि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के अनुसार मू राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी।

(एम० के० मिश्र)
अधिशारी अभियंता

प्रतिलिपि संख्या-3681 / तददिनांक

1/ सहायक अभियंता (प्रवर्तन) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(एम० के० मिश्र)
अधिशारी अभियंता

श्री मो. गुलाब
B.G.H
12/09/18
Gulab's.t./excise

कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक- /रेरा-11 अवैध भूमि वि०/2018-19 दिनांक //, सितम्बर, 2018
सेवा में,

श्री महेन्द्र सिंह,
साई सिटी, गौरा पट्टी,
फैजाबाद।

विषय:- अवैध कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।
महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आउ-8-2018-194काम्य/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को विन्धित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलमूल अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैध भू-विकारा किये जाने पर वाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि रू०-01,19,35,000.00 (एक करोड़ उन्नीस लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र) की गणना की गयी है। उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया योजित धनराशि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के अनुसार भू राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी।

(एम० के० मिश्र)
अधिशारी अभियंता

प्रतिलिपि संख्या-3682/तददिनांक

✓ सहायक अभियंता (प्रवर्तन) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

श्री मोहन कुमार
B-6/B
11/09/18

(एम० के० मिश्र)
अधिशारी अभियंता

कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक- /रेरा-11 अवैध भूमि वि०/2018-19 दिनांक //, सितम्बर, 2018
सेवा में,

श्री विक्की सिंह,
सरयू सिटी, गौरा पट्टी,
फैजाबाद।

विषय:- अवैध कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।
महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आठ-8-2018-194काम्प/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैध भू-विकास किये जाने पर वाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि ₹०-95,48,000.00 (पन्चानबे लाख अड़तालिस हजार रुपये मात्र) की गणना की गयी है। उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया वॉण्डित धनराशि पत्र प्राप्ति के एक साप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के अनुसार भू राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी।

(एग० के० मिश्र)
अधिरासी अभियंता

प्रतिलिपि संख्या-3683/तददिनांक

1/सहायक अभियंता (प्रवर्तन) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

श्री मोहन प्रकाश
B.6h
12/09/18
R

(एम० के० मिश्र)
अधिरासी अभियंता

कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद।

पत्रांक- /रेरा-11 अवैध भूमि वि०/2018-19 दिनांक 11, सितम्बर, 2018
सेवा में,

श्री अनूप सिंह,
सिविल लाइन,
फैजाबाद।

विषय:- अवैध कालोनी पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही।
महोदय,

कृपया उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1428-आउ-8-2018-194काम्प/2001 दिनांक 09 अगस्त 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देश संख्या 01 एवं 02 सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रतिलिपि के रूप में निम्नानुसार अंकित किये जा रहे हैं:-

निर्देश संख्या-01

अनधिकृत कालोनियों के विकास/निर्माण हेतु मुख्य रूप से दोषी सम्बन्धित विकासकर्ता/कालोनाइजर को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

निर्देश संख्या-2

अनधिकृत कालोनियों के निर्माण हेतु दोषी विकासकर्ता/कालोनाइजर की सम्पत्ति जब्त कर निवासियों को मूलभूत अयस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराया जाय।

शासनादेश के अनुपालन में सम्बन्धित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा आपके द्वारा किये गये अवैध भू-विकास किये जाने पर बाह्य विकास, आन्तरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क मद में कुल धनराशि ₹0-01,26,00,000.00 (एक करोड़ छब्बीस लाख रुपये मात्र) की गणना की गयी है। उपाध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 के द्वारा उपरोक्त धनराशि आपसे वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया बॉधित धनराशि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त धनराशि 30 प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के अनुसार भू राजस्व की भांति वसूली की जायेगी।

(एम० के० मिश्र)
अधिशायी अभियंता

प्रतिलिपि संख्या-3684/तददिनांक

1/ सहायक अभियंता (प्रवर्तन) अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(एम० के० मिश्र)
अधिशायी अभियंता

श्री मोहन कुमार

B.G.H.
12/09/18

Gulab/x.L./cxo